न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 85 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. सताराम पुत्र नवलाराम जाति जाट निवासी निम्बलकोट तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर (राज.)	**बनाम**	1.नवलाराम पुत्र ताजाराम 2.गिरधारीराम पुत्र नवलाराम 3.राजूराम पुत्र नवलाराम जाति जाट निवासी निम्बलकोट तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर (राज.)। 4.तहसीलदार सिणधरी।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर सिणधरी के राजस्व वाद संख्या 91/2016 बअनवान सताराम बनाम नवलाराम वगै. निर्णय दिनांक 22.03.2017 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री नारायण कुमावत अपीलान्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 15.05.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट व उतरदाता संख्या 02 व 03 सगे भाई है जो उतरदाता संख्या 01 के जायन्दा पुत्र है। उतरदाता संख्या 01 के नाम से पक्षकारान की पैतृक व पुश्तैनी भूमि मौजा निम्बलकोट पटवार क्षेत्र निम्बलकोट तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 110/2 रकबा 01 बीघा व खसरा संख्या 378 रकबा 28.07 बीघा की अवस्थित है। जिस पर अपीलांट व उतरदाता संख्या 01 से 03 का बहिस्सा बराबर खातेदारी अधिकार है। अपीलांट अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। अपीलाधीन आराजी पक्षकारान की पैतृक सम्पति है जिसमें अपीलांट का जन्म से ही हक हिस्सा उत्पन्न हो गया है। लेकिन उतरदाता संख्या 01 द्वारा खसरा संख्या 110/2 की सम्पूर्ण भूमि उतरदाता संख्या 03 के पक्ष में बैचान निष्पादित कर दिया गया है। जबकि अपीलाधीन आराजी में अपीलांट का भी हक व हिस्सा है। इस कारण अपीलाधीन आराजी में अपीलांट को 1/4 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जावे तथा खसरा संख्या 110/2 में उतरदाता संख्या 01 के द्वारा उतरदाता संख्या 03 के पक्ष में

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

निष्पादित बैचान अपीलांट के हक हिस्सा व अधिकारों की सीमा तक निष्प्रभावी घोषित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उतरदातागण को सुनवाई हेतु सम्मन जारी किये गये। लेकिन सम्मन विधिवत तामील के बावजूद भी उतरदातागण द्वारा जानबूझकर गैर हाजिर रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमद दरामद की गई। अपीलांट के वाद का किसी प्रकार का खण्डन नहीं होने के उपरान्त भी अपीलांट का वाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आशिंक स्वीकार किया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त व विधि के अनुसार पारित नहीं करने से निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 की सम्मक तामिल होने के बावजूद अनुपस्थि। रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश दिये जाते। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता अपीलांट की पत्रावली पर एकतरफा बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आराजी को पैतृक सम्पति होना, व भूमि पैतृक होने से अपीलांट को अपना हिस्सा घोषित कराने का अधिकार प्राप्त होना माना है। उतरदाता संख्या 01 द्वारा किया गया बैचान उसके हिस्से से अधिक का बैचान है जिसका उतरदाता संख्या 01 को विधिक अधिकार नही था। इसके बावजूद अपीलाधीन आराजी में अपीलांट को 1/4 हिस्सा की खातेदारी घोषित नही करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भारी भूल की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।खसरा संख्या 110/2 में उतरदाता संख्या 01 के द्वारा उतरदाता संख्या 03 के पक्ष में निष्पादित बैचान अपीलांट के हक हिस्सा व अधिकारों की सीमा तक निष्प्रभावी घोषित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उतरदातागण को सुनवाई हेतु सम्मन जारी किये गये। लेकिन सम्मन विधिवत तामील के बावजूद भी उतरदातागण द्वारा जानबूझकर गैर हाजिर रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमद दरामद की गई। अपीलांट के वाद का किसी प्रकार का खण्डन नहीं होने के उपरान्त भी अपीलांट का वाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आशिंक स्वीकार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त व विधि के अनुसार नहीं होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

के वर्तमान में अभी 15–20 दिन पूर्व उतरदातागण द्वारा अपीलाधीन आराजी के खसरा संख्या 110/2 की अपीलांट के कब्जा काश्त की भूमि बैचान हेतु मौका दिखाया गया जिस पर अपीलांट द्वारा आपति जाहीर की गई जिस उतरदातागण नही माने तथा अपीलांट बेदखल करने व काश्त नहीं करने की धमकी दी गई। हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तथा जमाबंदी की नकले प्राप्त की तब हल्का पटवारी ने बताया कि खसरा संख्या 110/2 में अपीलांट की खातेदारी घोषित नहीं की गई है। जिस पर यह अपील पेश की जा रही है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी होने से एक पुत्र (अपीलांट) द्वारा अपने पिता (रेस्पोडेंट संख्या 01) के जीवनकाल में हक–हिस्सा मांगा गया है। वादग्रसत भूमि में अपीलांट के पिता की ग्राम निम्बलकोट के खसरा संख्या 110/2 व 378 रकबा क्रमश 1 बीघा व 28.07 बीघा भूमि खातेदारी दर्ज है जिसमें से खसरा संख्या 110/2 का संपूर्ण 1.01 बीघा भूमि पिता द्वारा अपने ही पुत्र रेस्पोडेंट संख्या **03** के हक में पंजीबद्ध बैचान नामे से विक्रय कर दी है। इसी खसरे की भूमि में अपीलांट के 1/4 हिस्से को लेकर विवाद होने से वाद प्रस्तुत हुआ और उसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत हुई है। वादग्रस्त भूमि में पिता एवं उसके पुत्रों के मध्य हक–हिस्सों को निर्धारण होने से मामला पारिवारिक हैं परन्तु अपीलांट अभी तक खातेदार रूप में नहीं होने से अपने हक–हिस्से की भूमि लेने का अधिकारी ठहरता है। अपीलांट के पिता (रेस्पोडेंट संख्या 01) द्वारा अपने हक हिस्से से विवादित खसरे में 15 बिस्वा अधिक भूमि अपने एक पुत्र को बेचान की। अपीलांट के अलावा शेष दो पुत्रों का इसमें कोई एतराज रिकॉर्ड पर नहीं है क्योंकि उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही का निर्णय हो चुका है। अपीलांट के हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत पुश्तैनी भूमि में जन्म से निहित हक–हिस्सों तक रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 03 के पक्ष में किया गया पंजीबद्ध बैचान प्रारम्भतः अमान्य (Null & Void) है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

लिहाजा अपीलांट के हिस्से की विवादित खसरों में दावाकृत भूमि के एक खसरे में 05 बिस्वा तथा दूसरे खसरे में 07.02 बीघा भूमि देना न्यायसंगत प्रतीत होता है ताकि पारिवारिक विवाद न बढे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित किये गए हिस्से निर्धारित हक के अनुरूप नहीं है। वादग्रस्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 03 के घोषित हिस्से सही प्रतीत नहीं होते है। उभयपक्ष के बिच निम्नलिखितानुसार वादग्रस्त भूमि के रकबा को निर्धारित किया जाकर उन्हे खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है।

खसरा संख्या	पक्षकार का नाम	खातेदारी में घोषित रकबा
110/2	वादी सताराम पुत्र नवलाराम	0.05 बीघा
	उतरदाता संख्या 03 राजूराम पुत्र नवलाराम	0.15 बीघा
कुल रकबा	–	**01.00 बीघा**
378	वादी सताराम पुत्र नवलाराम	07.02 बीघा
	उतरदाता संख्या 01 नवलाराम पुत्र ताजाराम	07.02 बीघा
	उतरदाता संख्या 02 गिरधारीराम पुत्र नवलाराम	07.07 बीघा
	उतरदाता संख्या 03 राजूराम पुत्र नवलाराम	06.16 बीघा
कुल रकबा	–	**28.07 बीघा**

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय उपरोक्तानुसार संशोधित किया जाता है। तहसीलदार सिणधरी को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर निर्णय की पालना से न्यायालय हाजा को अवगत करावे।

15/5/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर
(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 15.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15/5/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner